

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 196/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर

वादी

बनाम

- 1 दलीपचंद पुत्र कृष्णलाल जाति यादव निवासी 40 पी टी पी
- 2 महेन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी 40 पी टीपी
- 3 जंगीर सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी 40 पी टी पी
- 4 जगरूप सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी 40 पी टी पी
- 5 गुरदयालराम पुत्र प्रताप सिंह जाति यादव निवासी मन्नीवाली
- 6 बलवन्त कौर पत्नी दिवानचंद जाति यादव निवासी मन्नीवाली
- 7 जयकृष्ण पुत्र दिवानचंद जाति यादव निवासी मन्नीवाली
- 8 जसवीर सिंह पुत्र दिवानचंद जाति यादव निवासी मन्नीवाली
- 9 कुलवीर सिंह पुत्र दिवानचंद जाति यादव निवासी मन्नीवाली
- 10 एसबीआई सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :-

- 1 राजपैरोकार स्टेट (वादी)
- 2 रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2 व 3

निर्णय

दिनांक : 31.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 30/26 में दलीपचंद वल्द कृष्णलाल 0.506 है. जाति यादव महेन्द्र सिंह 0.250 है., जंगीर सिंह 0.250 है., जगरूप सिंह 0.259 है., पि0 चनन सिंह जाति जट सिख सा0 40 पी टी पी गुरदयालराम पुत्र प्रताप सिंह 0.253 है., बलवन्त कौर पत्नी दिवानचंद जयकृष्ण, जसवीर सिंह, कुलवीर सिंह पि0 दिवानचंद ब.हि.ब. 0.253 है., जाति यादव साकिन मन्नीवाली खातेदार रहन:- महेन्द्र सिंह 0.250 है., एसबीआई सादुलशहर के नाम मु.न. 6 कि.न. 9 ता 12/1.012, 19 ता 22 में 1.012 है., मु.न. 7 कि.न 6, 15 में 0.506 है. कुल 2.530 है. नहरी रकबा दर्ज रिकॉर्ड है। जमबादी सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है जिसके सहकाशकारों के हिस्सा का योग एव खाते का क्षेत्रफल का कुल योग का मिलान आवश्यक है। जमाबदी के मुताबिक खाते के हिस्सों का योग एव खाते में अन्तर 0.759 है., का आता है। पटवारी हल्का एव भू0 अ0 निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कब्जा काशत की स्थिती निम्नानुसार है कि चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 30/26 में दलीपचन्द पुत्र कृष्णलाल 0.759 है., जाति यादव सा. ढाणी 40 पी टी पी गुरदयालराम पुत्र प्रताप सिंह 0.253 है., बलवन्त कौर पतनी दिवानचंद जयकृष्ण



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह पिता दिवानचंद ब.हि.ब. 0.253 है., जाति यादव सा0 मननीवाली जंगीर सिंह वल्द चनन सिंह 0.759 है., महेन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह 0.506 है., जाति जट सिख साकिन 40 पी टी पी खातेदार रहन महेन्द्र सिंह 0.250 है. एसबीआई शाखा सादुलशहर। जमाबंदी सेग्रीगेशन हेतू की जाने वाली कार्यवाही के समय दिनांक 3.1.19 को यह प्रकरण ध्यान में आया हे इस कारण अन्दर मियाद है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि:-
चक 40 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 30/26 में दलीपचन्द पुत्र कृष्णलाल 0.759 है., जाति यादव सा0 ढाणी 40 पी टीपी, गुरदयालराम पुत्र प्रताप सिंह 0.253 है., बलवन्त कौर पत्नी दिवानचंद, जयकृष्ण, कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह पि0 दिवानचंद ब.हि.ब. 0.253 है., जाति यादव सा0 मन्नीवाली, जंगीर सिंह वल्द चनन सिंह 0.759 है., महेन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह 0.506 है., जाति जट सिख साकिन मन्नीवाली खातेदार रहन महेन्द्र सिंह 0.250 हे. एसबीआई शाखा सादुलशहर।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 3 जंगीर सिंह ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया है एव मुताबिक रिपोर्ट वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। एव शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवायी गयी, प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस राजपैरोकार स्टेट द्वारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की एव काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन करने एवं बहस मनन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त वाद तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत कर विवादित खातो में दर्ज खातेदारान की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है चूंकि खातेदारान द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य खातेदारान के साथ तबादला, बैय एवं अन्य तरीके से भूमि का अन्तरण आपसी सहमति के आधार किया हुआ है परन्तु रिकार्ड में रकबा पूर्ववत हिस्सा के अनुसार दर्ज है जिसके कारण जमाबंदी दर्ज रकबा के मुताबिक खातेदारान की कब्जा काश्त के अनुसार हिस्सा कस्सी का मिलान नहीं हो रहा है। प्रकरण में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी में रकबा मुताबिक कब्जा काश्त खातेदारान की हिस्सा कस्सी सही दर्ज किया जाना आवश्यक है। एव प्रतिवादीगण ने निवेदन किया किया है कि वादाधीन आराजी पूर्व में सांझा खाता में दर्ज थी जो कि लगभग 110 बीघा का खाता था एव खाता अलग हुये काश्तकारों के नाम कलमजन ना होने के कारण अन्तर हुआ है। इस प्रकार खाते अपवादित है तथा तहसील राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन किया जाना है जिसके लिए अपवादित खातो को दुरुस्त किया जाना अपरिहार्य है। अतः स्टेट की रिपोर्ट पर हिस्सा व कब्जा के आधार पर पृथक-पृथक खाते कायम करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।



Exhibit
अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड मे रकबा खातेदारान के नाम से दर्ज किया जावे कि :- चक 40 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 30/26 प.न. 55/158 मु.न. 6 कि.न. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21,22 में 2.024 है. नहरी, प.न 54/158 मु.न. 7 कि.न. 6, 15 में 0.506 है. नहरी कुल खाता 2.530 है. नहरी आराजी में दलीपचन्द पुत्र कृष्णलाल 0.759 है., जाति यादव सा0 ढाणी 40 पी टी पी, गुरदयालराम पुत्र प्रताप सिंह 0.253 है., बलवन्त कौर पत्नी दिवानचंद, जयकृष्ण, कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह पि0 दिवानचंद ब.हि.ब. 0. 253 है., जाति यादव सा0 मन्नीवाली, जंगीर सिंह वल्द चनन सिंह 0.759 है., महेन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह 0.506 है., जाति जट सिख साकिन मन्नीवाली खातेदार । तहसीलदार सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। बैंक रहन की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Handwritten signature
3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

